

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं. उपखण्ड अधिकारी, संगरिया  
पीठासीन अधिकारी :- राकेश कुमार मीना आर.ए.एस.

प्रकरण सं.:-150/2022

वादपत्र अर्न्तगत धारा:- 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1. गौरीशंकर पुत्र धर्मपाल पुत्र स्व. लिछमण राम 2. प्रमोद कुमार पुत्र स्व. बृजलाल पुत्र स्व. लिछमण राम  
जाति जाट निवासी लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

-वादीगण

बनाम

1. धर्मपाल पुत्र स्व. लिछमणराम 2. मन्जू 3. पूनम पुत्रिया धर्मपाल जाति जाट निवासी लीलावाली तहसील संगरिया 4. कृष्णादेवी पत्नी दलीपकुमार पुत्रि स्व लिछमणराम जाति जाट निवासी रावतसर तहसील रावतसर 5. उर्मिला पत्नी त्रिलोकचन्द पुत्री स्व. लिछमणराम 6. सुमित्रा पत्नी जगदीश पुत्री स्व. लिछमणराम निवासी चक 3 एच.डी.पी. हरदयालपुरा तहसील पिलीबंगा जिला हनुमानगढ़। 7. राजबाला पत्नी स्व. बृजलाल 8. पूजा 9. प्रियंका पुत्रिया स्व. बृजलाल जाति जाट निवासी लीलावाली तहसील संगरिया 10. भावना पत्नी अनिलकुमार पुत्रि स्व. बृजलाल जाति जाट निवासी चक 9 व 10 बी.एन.डब्ल्यु लालगढ़ जाटान तहसील व जिला श्रीगंगानगर। 11. सुरेश 12. शिवकुमार 13. महेन्द्र 14. प्यारेलाल 15 सुभाष 16. हरिशचन्द्र पुत्रगण स्व. बृजलाल पुत्र स्व. मोहनलाल जाति बंसल निवासीगण लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़। 17. केशी 18. रमेश 19. रविन्द्र पुत्रगण स्व. रूपचन्द पुत्र स्व. मिलखीराम जाति बंसल निवासी लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़। 20. संजीव 21. अशोक पुत्रगण स्व. मदनलाल पुत्र स्व. मिलखीराम जाति बंसल निवासी लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ 22. विपुन 23. निपून पुत्रगण स्व. केवलचन्द पुत्र स्व. मिलखीराम जाति बंसल निवासी लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़। 24. पन्नाराम 25. पूर्णचन्द पुत्रगण बालकराम पुत्र स्व. मोहनलाल जाति बंसल निवासी लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ 26. कपिल कुमार पुत्र स्व. मीदूराम 27. कमल बंसल पुत्र स्व. भगताराम पुत्रगण स्व. बालकराम जाति बंसल निवासी लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़। 28. राजकुमार 29. पवनकुमार 30. सुरेन्द्रकुमार 31. रमेशकुमार 32. पुरुषोत्तमदास पुत्रगण स्व. धन्नाराम जाति बंसल निवासीगण हनुमानगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ 33. गौरव 34. सौरभ पुत्रगण स्व. भूषणकुमार पुत्र स्व. धन्नाराम जाति बंसल निवासी लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़। 35. गुरबक्शसिंह 36. सरबनसिंह 37. रामसिंह पुत्रगण दौलतसिंह जाति जटसिख निवासी लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़। 38. भगवानकौर 39. रामकौर पुत्रिया स्व. दौलतसिंह जाति जटसिख निवासी लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़। 40. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

-प्रतिवादीगण

उपस्थित:-

1. श्री भीमसिंह छिम्पा एड. - वादीगण
2. श्री रामनिवास बेदी एड.- प्रति.सं. 1 ता 10

दिनांक- 4.9.2024

निर्णय

वादपत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि चक 3 एल.एल. डब्ल्यु जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 खाता सं. 36/2 खाता दीपककुमार वगौरा के कुल सांझा खाता 4.808 है. कृषि भूमि जो पूर्व में जमाबन्दी सम्वत

-2-  
सहायक कलैक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया

2039 के खाता सं. 11/10 खाता गोपीराम वगैरा के कुल सांझा खाता में दर्ज रही है। तथा इसी अनुसार इसी चक 3 एल.एल.डब्लयु. के खाता सं. 39/33 खाता धर्मपाल वगैरा का कुल सांझा खाता 2.024 है। जो पूर्व में खतौनी नं. 59 खाता गुरबक्ससिंह वगैरा सम्वत 2039 में दर्ज रही है। उक्त भूमि वादीगण के पिता धर्मपाल, बृजलाल व चाचा पृथ्वीराज और दादा लिछमणराम के नाम से जरिये पंजिकृत बैयनामो द्वारा पृथक पृथक किमतन खरीद की गयी थी। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी व बैयनामो की फोटो प्रतिया संलग्न वादपत्र हैं। कि वादपत्र की चरण सं. 2 में वर्णित चक 3 एल.एल. डब्लयु जमाबन्दी सम्वत 2039 के खाता सं. 11/10 खाता गोपीराम वगैरा में खातेदार बालकराम से 0.253 है। वादीगण के चाचा पृथ्वीराम ने व वादी सं. 2 के पिता बृजलाल ने .253 है। भूमि खातेदार बृजलाल पुत्र मोहनाराम से व वादी सं. 2 के धर्मपाल ने खातेदार मिलखीराम पुत्र मोहनाराम से व .253 है। भूमि व वादी सं. 1 के पिता खातेदार धन्नाराम पुत्र मोहनाराम से जरिये बैयनामे खरीद की गयी है। खरीद के बाद चक 3 एल.एल.डब्लयु. जमाबन्दी सम्वत 2056 के खाता सं. 19/17 में खातेदार मिलखीराम से वादी सं. 1 के पिता धर्मपाल द्वारा खरीद की गयी भूमि सहखातेदार सगे भाई बालकराम, बृजलाल पिसरान मोहना राम के नाम दर्ज हो गयी। जबकि खरीद के रोज से वादीगण व वादीगण के परिवारजनों की निर्बाध रूप से शान्ति पूर्वक कब्जा काश्त चली आ रही है। तथा इसी अनुसार इसी चक 3 एल.एल. डब्लयु. के खतौनी नं. 59 खाता गुरबक्ससिंह वगैरा सम्वत 2039 में दर्ज 2.024 है। भूमि भी जरिये पंजिकृत बैयनामा वादी सं. 1 पिता धर्मपाल व वादी सं. 2 के पिता बृजलाल तथा वादीगण के चाचा पृथ्वीराज ने दिनांक 5.01.1982 को समस्त खातेदारो से खरीद कर ली। किन्तु वरवक्त ईन्तकाल दर्ज होते समय उपरोक्त खाते की कुल 2.024 है। में से 5/6 हिस्सा वादी सं. 1 के पिता व वादी 2 के पिता तथा वादी के चाचा पृथ्वीराज के नमा से दर्ज हो गया और शेष हिस्सा 1/6 तत्कालीन खातेदार रूपसिंह वल्द दौलतसिंह के नाम से सहबन रह गया। खरीद के रोज से वादभूमि वादीगण व वादीगण के परिवारजनों के आधिपत्य व धारण में चली आ रही है। परन्तु बैयनामा मुताबिक खरीदशुद्धा भूमि का राजस्व रिकार्ड में ईन्तकाल कब्जा काश्त मुताबिक दर्ज नहीं होने के कारण वादीगण के खातेदारी अधिकारो पर कुठाराघात हो रहा है। जबकि वादीगण खरीदशुद्धा भूमि के कब्जा काश्त अनुसार खातेदार काश्तकार कहलाने के अधिकारी एवं दावेदार है। कि वादपत्र की चरण सं. 3 में वर्णित खरीदशुद्धा भूमि को लेकर वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 10 के बीच अर्सा दराज पूर्व ब्राहमी बंटवारा हो चुका है उपरोक्त घरू बंटवारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विरचित प्रावधानो के अर्न्तगत किया गया है। घरू बंटवारा में स्वर्गीय दादा लिछमणराम की व चाचा पृथ्वीराम के कंवारा फौत होने पर स्व. चाचा पृथ्वीराम के हक हिस्सा की भूमि वादीगण को ब.ही.ब. प्राप्त हुई है। घरू बंटवारा के रोज ही प्रतिवादी सं. 1 ता 3 ने वादी सं. 1 को व प्रतिवादीगण सं. 7 ता 10 ने वादी सं. 2 को व प्रतिवादीगण सं. 4 ता 6 बुआ ने अपने अपने तमाम पैतृक हक व हिस्से का परित्याग वादीगण के पक्ष में ब.ही.ब. कर दिया है। घरू बंटवारा के रोज से ही वादीगण की वादभूमि पर हिस्सा मुताबिक शान्ति पूर्ण कब्जा काश्त चली आ रही है। कब्जा काश्त को लेकर आज भी कोई विवाद नहीं है। कि वादभूमि घरू बंटवारा मुताबिक कब्जा काश्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम दर्ज नहीं होने के कारण वादीगण के खातेदारी अधिकारो पर कुठाराघात हो रहा है तथा वादीगण अपनी पैतृक अधिकारो से महरूम हो रहे है। तथा वादभूमि का आबयाना अदा करने में व बैंक ऋण लेने में अनावश्यक परेशानीया आ रही है। जबकि वादीगण कब्जा काश्त अनुसार वादभूमि के खातेदार काश्तकार कहलाने के अधिकारी एवं दावेदार है। कि गत माह वादीगण ने प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि वो घरू बंटवारा मुताबिक खरीदशुद्धा भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार मानकर कब्जा काश्त अनुसार वादभूमि राजस्व रिकार्ड में अंकन करवा लेवे। तो पहले तो वो आजकल आजकल करते रहे।

3  
राजस्थान काश्तकारी एवं  
जालण्ड अधिकारी  
संभरिया

गत सप्ताह ऐसा करने से स्पष्ट ईन्कार कर दिया बस यही वाद कारण है।  
वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 27.4.2022 को प्रतिवादीगण सं. 1 ता 10 की ओर से अधिवक्ता श्री रामनिवास बेदी ने वकालतनामा मय इकबाल दावा पेश किया व जबाव स्टेट पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। वादीगण के वाद का कोई विरोध पत्रावली पर नहीं आने के कारण विवाद्यक बिन्दु कायम नहीं किये जाकर साक्ष्य वादीगण करवाये गये। साक्ष्य वादीगण में वादी गौरीशंकर ने अपनी साक्ष्य में शपथ पत्र अं. आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. पेश कर वाद पत्र में संलग्न दस्तावेज जमाबन्दी व फोटो प्रति बैयनामो को प्रदर्शित करवाया गया जो प्रदर्श 1 से 10 है। तथा ओर साक्ष्य वादीगण व प्रतिवादीगण पेश नहीं करना चाहते है इसलिए साक्ष्य बन्द की जाती है। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गयी।

बहस उभय पक्ष सुनी गई वादीगण के अभिभाषक ने वादपत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुऐ बहस में कथन किया कि वादीगण का वादपत्र मांगे गए अनुतोष मुताबिक डिक्री किया जावे। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने भी वादीगण के वादपत्र को मांगे गये अनुतोष मुताबिक डिक्री किये जाने का कोई विरोध नहीं किया। हमारे द्वारा वादीगण व प्रतिवादीगण की बहस पर मनन किया गया व वादीगण की ओर से पेश पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी, बैयनामो प्रदर्श 1 से 10 तथा विरास्तन राजस्व रिकार्ड दस्तावेजी साक्ष्य तथा ब्यान गवाहान गौरीशंकर की साक्ष्य आदि का अवलोकन करने से वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 10 एक ही परिवार के सदस्य है। वादीगण के वादपत्र को स्वीकार करते हुऐ सहमति का ईकबाल दावा प्रतिवादीगण 1 ता 10 ने पेश किया है। वादीगण की ओर से पेश दस्तावेजी साक्ष्य अनुसार वादीगण गौरीशंकर वगैरा को वादग्रस्त आराजी प्राप्त होना साबित है। वादीगण की ओर से पेश विरास्तन साक्ष्य के तौर पर पेश दस्तावेजी साक्ष्य जमाबन्दी से वादग्रस्त आराजी विरास्तन होना साबित है। वादपत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नहीं आने तथा विरास्तन आराजी साबित होने से वादीगण का वादपत्र डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

### क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वादपत्र डिक्री किया जाकर आदेश दिया जाता है कि चक 3 एल.एल.डब्ल्यू. के खाता सं. (36/2) वर्तमान खाता सं. 111/41 में खातेदार उर्मिला उर्फ उरमा व कृष्णा पुत्रिया लिछमणराम के नाम दर्ज हिस्सा के वादीगण सं. 1 व 2 ब.ही.ब. के तथा प्रतिवादी सं. 1 धर्मपाल के नाम दर्ज हिस्सा का वादी सं. 1 गौरीशंकर तथा खातेदार पूजा, प्रियंका, भावना पुत्रिया स्व. बृजलाल व राजबाला पत्नी बृजलाल के नाम दर्ज हिस्सा का वादी सं. 2 प्रमोद कुमार व खाता सं. (39/33) वर्तमान खाता सं. 44/19 में धर्मपाल, बृजलाल, पृथ्वीराज पुत्रगण लिछमणराम व खातेदार रूपसिंह वल्द दौलतसिंह के नाम दर्ज हिस्सा के वादीगण ब.ही.ब.के खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 4.9.2024 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( राकेश कुमार सीना )

सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,  
संगरिया

डिक्री एवं मुकदमें इत्दादाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी )

अज अदालत - सहायक कलैक्टर एवं. उपखण्ड अधिकारी, संगरिया  
बईजलास - राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

1. गौरीशंकर पुत्र धर्मपाल पुत्र स्व. लिछमण राम 2. प्रमोद कुमार पुत्र स्व. बृजलाल पुत्र स्व. लिछमण राम  
जाति जाट निवासी लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

-वादीगण

बनाम

1. धर्मपाल पुत्र स्व. लिछमणराम 2. मन्जू 3. पूनम पुत्रिया धर्मपाल जाति जाट निवासी लीलावाली तहसील संगरिया 4. कृष्णादेवी पत्नी दलीपकुमार पुत्रि स्व लिछमणराम जाति जाट निवासी रावतसर तहसील रावतसर 5. उर्मिला पत्नी त्रिलोकचन्द पुत्री स्व. लिछमणराम 6. सुमित्रा पत्नी जगदीश पुत्री स्व. लिछमणराम निवासी चक 3 एच.डी.पी. हरदयालपुरा तहसील पिलीबंगा जिला हनुमानगढ़। 7. राजबाला पत्नी स्व. बृजलाल 8. पूजा 9. प्रियंका पुत्रिया स्व. बृजलाल जाति जाट निवासी लीलावाली तहसील संगरिया 10. भावना पत्नी अनिलकुमार पुत्रि स्व. बृजलाल जाति जाट निवासी चक 9 व 10 बी.एन.डब्लयु लालगढ़ जाटान तहसील व जिला श्रीगंगानगर। 11. सुरेश 12. शिवकुमार 13. महेन्द्र 14. प्यारेलाल 15. सुभाष 16. हरिशचन्द्र पुत्रगण स्व. बृजलाल पुत्र स्व. मोहनलाल जाति बंसल निवासीगण लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़। 17. केशी 18. रमेश 19. रविन्द्र पुत्रगण स्व. रूपचन्द पुत्र स्व. मिलखीराम जाति बंसल निवासी लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़। 20. संजीव 21. अशोक पुत्रगण स्व. मदनलाल पुत्र स्व. मिलखीराम जाति बंसल निवासी लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ 22. विपुन 23. निपून पुत्रगण स्व. केवलचन्द पुत्र स्व. मिलखीराम जाति बंसल निवासी लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़। 24. पन्नाराम 25. पूर्णचन्द पुत्रगण बालकराम पुत्र स्व. मोहनलाल जाति बंसल निवासी लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ 26. कपिल कुमार पुत्र स्व. मीठूराम 27. कमल बंसल पुत्र स्व. भगताराम पुत्रगण स्व. बालकराम जाति बंसल निवासी लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़। 28. राजकुमार 29. पवनकुमार 30. सुरेन्द्रकुमार 31. रमेशकुमार 32. पुरुषोत्तमदास पुत्रगण स्व. धन्नाराम जाति बंसल निवासीगण हनुमानगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ 33. गौरव 34. सौरभ पुत्रगण स्व. भूषणकुमार पुत्र स्व. धन्नाराम जाति बंसल निवासी लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़। 35. गुरबकशसिंह 36. सरबनसिंह 37. रामसिंह पुत्रगण दौलतसिंह जाति जटसिख निवासी लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़। 38. भगवानकौर 39. रामकौर पुत्रिया स्व. दौलतसिंह जाति जटसिख निवासी लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़। 40. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

-प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा हक

मुकदमा संख्या 192/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरु हमारे बहाजरी श्री भीमसिंह छिंपा एड. मिन जामिन मुदई श्री रामनिवास बेदी एड.मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-  
अतः वादीगण का वादपत्र डिक्री किया जाकर घोषित किया जाता है कि चक 3 एल.एल.डब्लयु. के खाता सं. (36/2) वर्तमान खाता सं. 111/41 में खातेदार उर्मिला उर्फ उरमा व कृष्णा पुत्रिया लिछमणराम के

सहायक कलैक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया

नाम दर्ज हिस्सा के वादीगण सं. 1 व 2 ब.ही.ब. के तथा प्रतिवादी सं. 1 धर्मपाल के नाम दर्ज हिस्सा का वादी सं. 1 गौरीशंकर तथा खातेदार पूजा, प्रियंका, भावना पुत्रिया स्व. बृजलाल व राजबाला पत्नी बृजलाल के नाम दर्ज हिस्सा का वादी सं. 2 प्रमोद कुमार व खाता सं. (39/33) वर्तमान खाता सं. 44/19 में धर्मपाल, बृजलाल, पृथ्वीराज पुत्रगण लिछमणराम व खातेदार रूपसिंह वल्द दौलतसिंह के नाम दर्ज हिस्सा के वादीगण ब.ही.ब.के खातेदार काश्तकार है। उक्त खाता सं. 111/41 से खातेदार उर्मिला उर्फ उरमा व कृष्णा पुत्रिया लिछमणराम का नाम कलमजन कर हिस्सा वादीगण सं. 1 व 2 के नाम ब.ही.ब. तथा प्रतिवादी सं. 1 धर्मपाल का नाम कलमजन कर हिस्सा का वादी सं. 1 गौरीशंकर के नाम तथा खातेदार पूजा, प्रियंका, भावना पुत्रिया स्व. बृजलाल व राजबाला पत्नी बृजलाल का नाम कलमजन कर हिस्सा वादी सं. 2 प्रमोद कुमार के नाम व खाता सं. 44/19 से धर्मपाल, बृजलाल, पृथ्वीराज पुत्रगण लिछमणराम व रूपसिंह वल्द दौलतसिंह का नाम कलमजन कर हिस्सा वादीगण के नाम ब.ही.ब.दर्ज किया जावे। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

नोट:- संबंधित बैंक का ऋण चुकता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज  मुब्लिक  बाबत  खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख बसूलयाबी तक  को अदा करे।

बसब्त मेरे दरतख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 4.9.24 को जारी किया गया।

( राकेश कुमार मीना )

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,  
संगरिया